दिनांक 16.02.2026 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

अनुज्ञप्ति लाईसेंस एवं सड़क बाधा पर 5000 रूपये की चालानी कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बिना अनुज्ञप्ति लाईसेंस के व्यवसाय करने एवं सड़को पर अवैध रूप से सामान रखकर सड़क बाधा करने वालो पर चालानी कार्यवाही का अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के नेतृत्य में जोन–1 नेहरू नगर स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी एवं उनकी टीम द्वारा वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा के हिमालय काम्पलेक्स के पास प्रतिष्ठान में अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं पाये जाने एवं अवैध रूप से सड़क पर सामान रखकर आवागमन बाधित करने वालो पर चालानी कार्यवाही करते हुए समझाइस दी गई है। फूल किड्स के पास अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं पाये जाने पर 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। वहीं सड़क बाधा करने वाले नैनतारा ज्वेलर्स 2000 रूपये, एस.एस.पेपर्स 2000 रूपये एवं अरोरा टायर्स हाउस से 500 रूपये इस प्रकार कुल 5000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है।